न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ अपर सिविल जज (सी0 डि0), पीलीभीत।

सरकार **बनाम** कांता प्रसाद उर्फ भूरा।

मुकदमा अपराध संख्या–414/2022
अन्तर्गत धारा–60(1) आबकारी अधि.
थाना– न्यूरिया, जिला–पीलीभीत।

दिनांकः–11.08.2026

अभियुक्त कांता प्रसाद उर्फ भूरा के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–414/2022 अन्तर्गत धारा–60(1) आबकारी अधि. थाना न्यूरिया, जिला पीलीभीत के अपराध में जमानत प्रार्थनापत्र इस आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त व्यकितगत रूप से न्यायालय उपस्थित है।

मेरे द्वारा सुना एवं पत्रावली व अन्य उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त पर आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय है एवं 07 वर्ष से कम की सजा से दंडनीय है। प्रस्तुत प्रकरण में समस्त साक्ष्य संकलन के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **सतेन्द्र कुमार अन्टिल बनाम सेन्ट्रल ब्योरो आफ इन्वेस्टीगेशन एवं अन्य (2021) 10 एस०सी०सी० 773** को दृष्गित रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। अभियुक्त उपरोक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त कांता प्रसाद उर्फ भूरा के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–414/2022 अन्तर्गत धारा–60(1) आबकारी अधि. थाना न्यूरिया, जिला पीलीभीत के अपराध में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अतः अभियुक्त द्वारा मु0 20,000/– रूपये, का एक व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान राशि का एक प्रतिभू पत्र प्रस्तुत किए जाने पर जमानत पर रिहा किया जावें।

ए.सी.जे.एम./
अपर सिविल जज (सी0 डि0)
पीलीभीत।